

7/4/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप. उभय पक्ष अधि. की बहल पर विन्तन व अनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपस्थित वेकर्स का अवलोकन किया गया। वेकर्स बहल अधि. प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए प्रा. पत्र रवीन्द्र को जाने का निवेदन किया गया व 2014 (1) ANJ CRAG) वेज न. 214 से 217 के नजीर पेश की गयी। इसके खंडन में विपक्षीय अधि. ने अपने बकाब के तथ्यों को दोहराया व प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाहिर आया की अधि. प्रार्थी की अनुपस्थिति में मुख प्रकरण अद्व. धारणी व अद्व. पेशी में खारिज हुआ जिसके सूचना प्रार्थी को उसके अधि. द्वारा प्रदान नहीं की गयी। वेसे भी प्राकृतिक जग्य का सिद्ध है कि प्रत्येक पक्षका को अनुपस्थिति का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा प्रार्थी अधि. की नजीर भी इस पर चर्चा होती है।

अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 पर का रीजिट किया जाता है व मुख पत्रावली को पुनः नमूदा पर किया जाके के आदेश किये जाते हैं। पत्रावली में लक्ष्य सुनाने से एक की जाकर मुख प्रकरण के द्वारा देखने की जाये।

सहायक कलक्टर  
(उपस्थित अधिकारी)  
बायदारा जिला राजसमन्त